

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2200]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 22, 2014/आश्विन 30, 1936

No. 2200]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 22, 2014/ASVINA 30, 1936

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2014

का.आ. 2751(अ).—केन्द्रीय सरकार, कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान अधिनियम, 1993 (1994 का अधिनियम 6) की धारा 11 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, चेन्नई के शासी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति को नियुक्त करती है:-

श्री एन गोपालस्वामी,

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त,

फ्लैट संख्या 5, तृतीय तल,

''लिओ मथुरम'',

39, गिरि रोड, टी. नगर,

चेन्नई - 600017

[फा.सं. 4-7/2003-एमपीसीसी/अकादमी]

पंकज राग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2014

S.O. 2751 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 11 of the Kalakshetra Foundation Act, 1993 (Act 6 of 1994), the Central Government hereby makes the appointment of the following person as the Chairman of the Governing Board of the Kalakshetra Foundation, Chennai for a term of five years from the date of publication of this notification.

Shri N. Gopalaswami,

Former Chief Election Commissioner,

Flat No. 5, 3rd Floor,

"Leo Mathuram",

39, Giri Road, T. Nagar,

Chennai - 600 017

[F. No. 4-7/2003-MPCC/Akademies]

PANKAJ RAG, Jt. Secy.